उत्तर प्रदेश शासन
राजस्व अनुभाग-1
संख्या-20/2020/1061/एक-1-2020-रा0-1
लखनऊ: दिनॉक: 18 सितम्बर, 2020

अधिसूचना

जिलाधिकारी, लखनऊ के पत्र संख्या-855/डीएलआरसी/विनिमय/2020, दिनांक 31-07-2020 व पत्र संख्या-12/डीएलआरसी/विनिमय/2020, दिनांक 08-09-2020 के आलोक में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा 77 की उपधारा-2 सपठित धारा 101 की उपधारा-2 के परन्तुक में प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल ग्राम चांद सराय, तहसील मोहनलालगंज, जनपद लखनऊ स्थित ग्राम सभा की आरक्षित श्रेणी की भूमि गाटा संख्या-530/0.018हे0, 560/0.012हे0, 568/0.033हे0, 609/0.024हे0 नाली, 531/0.056हे0, 559/0.055हे0, 565/0.044 हे0 व 584/0.068हे0 चकमार्ग के रूप में दर्ज कुल 08 गाटा कुल रकबा 0.310हे0 भूमि का सशुल्क श्रेणी परिवर्तन करते हुए श्रीमती सरोज सिंह शिक्षण संस्थान की श्रेणी-1-क संक्रमणीय भूमि गाटा संख्या-647स/0.310हे0 अर्थात् कुल 01 गाटा कुल रकबा 0.310हे0 से विनिमय की अनुमति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं :-

(1) उक्त भूमियों का श्रेणी परिवर्तन/विनिमय अपरिहार्य परिस्थितियों में जनहित व शैक्षिक हित के दृष्टिगत किया जा रहा है। संस्था से श्रेणी परिवर्तन हेतु जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट का 25 प्रतिशत धनराशि शुल्क निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा कराया जायेगा।

(2) संस्था द्वारा लोक प्रयोजन की भूमि का श्रेणी परिवर्तन का मूल्य निर्धारित लेखा शीर्षक ''0029-भूराजस्व-800-अन्य प्राप्तियॉ-08-मालिकाना राजस्व-0806-प्रकीर्ण प्राप्तियॉ'' के नाम जमा कराया जायेगा।

(3) कलेक्टर द्वारा ग्राम चांद सराय, तहसील मोहनलालगंज, जनपद लखनऊ स्थित विनिमय के माध्यम से ग्राम सभा को प्राप्त संस्था की भूमि को नाली व चकमार्ग के रूप में दर्ज करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी ताकि उक्त भूमि पर किसी प्रकार का अवैध कब्जा आदि न हो सके।

(5) लोक प्रयोजन की भूमि का श्रेणी परिवर्तन तथा विनिमय का आदेश प्राप्त होने पर कलेक्टर द्वारा अधिकार अभिलेख (खतौनी) और मानचित्र में तदनुसार संशोधन की कार्यवाही 15 दिन में पूर्ण किया जायेगा।

(6) कलेक्टर कृत कार्यवाही की पूर्ण सूचना शासन तथा आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद को 30 दिन में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

आज्ञा से,

रेणुका कुमार
अपर मुख्य सचिव

-2-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-20/2020/1061(1)/ एक-1-2020-रा0-1 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।

2- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

3- आयुक्त लखनऊ मण्डल, लखनऊ।

4- जिलाधिकारी, लखनऊ ।

5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

महेन्द्र सिंह
विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।